"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2019—फाल्गुन 3, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्रमांक ई 1-1/2019/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), सचिव, मुख्यमंत्री, अतिरिक्त प्रभार सचिव, स्कूल शिक्षा, जनसम्पर्क, खनिज साधन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012), चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण के पद पर पदस्थ करता है.

श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्रमांक एक 6-41/2015/वा.क.(आब.)/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-07-2015 द्वारा श्री युद्धवीर सिंह जूदेव, विधायक, चंद्रपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

2. अत: श्री युद्धवीर सिंह जूदेव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त पद से दिया गया त्यागपत्र राज्य शासन, एतद्द्वारा, दिनांक 13-12-2018 (अपरान्ह) से स्वीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्रमांक एक 10-15/2018/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि कारखानों में महिला कामगारों को शाम 07.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य, कतिपय शर्तों, जो कि महिला कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विहित किया जाये, के साथ नियोजित किया जा सकेगा, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाना के मालिक के आदेवन पर कारखाना का मुख्य निरीक्षक, महिला कामगारों से सम्यक्, परामर्श और सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित शर्तों सहित कारखाना में महिला कामगारों के नियोजन हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्रमांक एक 10-15/2018/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2018/16, दिनांक 25.09.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप सचिव.

Atal Nagar Raipur 25th September 2018

No. F-10-15/2018/16.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, declares that women workers may be employed in the factories btween 7 P.M. and 10 P.M. with certain conditions as may be prescribed to ensure health, safety and welfare of the women workers, on application from occupier of any factory, registered under the said Act, the Chief Inspector of the Factory, may after due consultation and obtaining the consent of women workers, grant permission for employment of women workers in the factory with the above mentioned conditions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DIVYA UMESH MISHRA, Deputy Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 5-1/2004/11/6.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-20/2018/एक/1 दिनांक 11.01.2019 के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 9 (ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निगम के अध्यक्ष पद पर श्री कवासी लखमा, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-1/2004/11/6.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-20/2018/एक/1 दिनांक 20.12.2018 के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 9 (ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निगम में डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आगामी आदेश तक अध्यक्ष का कार्य करने हेतु दायित्व सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्रमांक 1358/21-ब/छ.ग./2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श उपरांत श्री कनक तिवारी, महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

No. F. 1358/21-B/C.G./2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Kanak Tiwari, Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 1816/एफ-21/13/तेरह-2/2014.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2020/एफ 21/13/09/13/2/ऊ.वि. दिनांक 29-10-2010 से विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत गठित उत्तरवर्ती चार विद्युत कंपनियों यथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मर्यादित, तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर के लिए प्रारंभिक तुलनपत्र (Opening Balance Sheet) अधिसूचित की गई है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी द्वारा तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हेतु दिनांक 31-12-2008 की स्थिति में ऑडिट उपरांत ओपनिंग बैलेन्सशीट उपलब्ध करायी गई है. यत: राज्य शासन की यह राय है कि उक्त आडिटेड ओपनिंग बैलेन्सशीट के आधार पर उपरोक्त वर्णित कंपनियों के लिए अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (Final Opening Balance Sheet) अधिसूचित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है.

अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के खण्ड-(7) के उपखण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व में जारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2020/एफ 21/13/09/13/2/ऊ.वि. दिनांक 29-10-2010 को अतिक्रमित करते हुए, पैरा-1 में वर्णित कंपनियों के लिए, परिशिष्ट-एक में दर्शाये अनुसार अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (Final Opening Balance Sheet) अधिसूचित करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–एक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम 2010 के अनुसार गठित उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों हेतु दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में अंतिम प्रारंभिक तुलनपत्र (फाईनल ओपनिंग बैलेन्सशीट)

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	दिनांक 31.12.2008 की स्थिति में छ0 रा0 विद्युत मण्डल का अंकेक्षित तुलनपत्र	समायोजन	छ0 रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	छ0 रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
अ	**आस्तियां**						
1	स्थिर आस्तियां	6,252.97	4.73	3,614.93	884.21	1,749.23	9.33
2	घटायें: अवक्षयण	1,798.46	-	914.73	236.41	646.74	0.58
3	शुद्ध स्थिर आस्तियां	4,454.51	4.73	2,700.20	647.80	1,102.49	8.75
4	प्रगति में पूंजीगत कार्य	2,020.05	(117.83)	560.07	660.99	681.16	-
5	आनूर्त एवं अन्य आस्तियां	8.87	-	8.87	-	-	-
6	सहायक कंपनियों में विनिधान	-	-	-	-	-	3,760.27
7	विनिधान	272.69	393.71	74.08	15.97	84.42	491.93
8	स्टाक	219.91	1.51	178.88	8.54	29.24	4.76
9	विद्युत प्रदाय के संबंध में प्राप्तियां	1,151.02	-	-	-	1,151.02	-
10	नगदी एवं बैंक	(67.85)	-	4.99	0.19	23.11	(96.14)
11	अंतर कंपनी प्राप्तियां/देय	-	-	(38.28)	(10.56)	(47.23)	96.07
12	उधार और अग्रिम	1,050.63	-	503.12	134.44	411.11	1.96
13	अन्यान्य प्राप्तियां	216.39	53.25	(12.24)	1.37	63.49	217.02
14	उपभोक्ताओं से प्रतिभूति निक्षेप	(472.89)	-	-	-	(472.89)	-
15	अन्य चालू दायित्व	(2,196.82)	157.89	(729.18)	(262.77)	(1,038.26)	(8.72)
16	सरकार से प्राप्य सहायिकी	669.01	(253.68)	133.31	41.54	240.48	-
	कुल आस्तियां (3 से 16)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**
ब	**दायित्व**						
1	राज्य सरकार से कुल निधियां अ उधार	740.78	(136.78)	296.62	92.44	214.94	-
	ब अंशपूंजी	23.12	(23.12)				
2	अभिदाय, अनुदान और सहायिकी	1,345.75	(1,241.96)	-	103.79	-	-
3	आरक्षित और आरक्षित निधियां	178.47	(178.47)	-	-	-	-
4	अधिशेष + अंशपूजी समायोजन	2,914.97	1,560.92	1,230.26	749.05	1,780.96	715.62
5	उप–योग: अंशपूंजी	3,116.56	1,359.33	1,230.26	749.05	1,780.96	4,475.90
6	पूंजी दायित्वों पर शोध्य संदाय	504.29	(117.25)	181.02	56.43	149.58	-
7	पूंजी दायित्व	1,618.14	376.24	1,675.92	235.80	82.66	-
	कुल दायित्व (1अ+2+5+6+7)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

No. 1816/F-21/13/13-2/2014.—Government of Chhattisgarh vide its notification No. 2020/F 21/13/09/13/2/ED dated 29-10-2010 had notified opening blanace sheet for the four successor power companies i.e. Chhattisgarh State Power Generation Company Limited Raipur, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited Raipur, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited Raipur and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited Raipur established after the restructuring of Chhattisgarh State Electricity Board as per the provisions of Electricity Act, 2003.

Chhattisgarh State Power Holding Company Limited has provided balance sheet after audit of erstwhile Chhattisgarh State Electricity Board as on 31-12-2008. Hence, State Governmnet is of the opinion that based on the said audited balance sheet it is necessary to notify final opning balance sheet of the above four companies.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (j) of clause (7) of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Rules, 2010 and in supersession of previous notification No. 2020/F-21/13/09/13/2/ED dated 29-10-2010, State Government, hereby notifies final opening balance sheet, as indicated in Annexure-I, for companies specified in Para-1.

This notification shall be immediately effective.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. S. RATNAM, Special Secretary.

Annexure – I

Opening Balance Sheet as on 01.01.2009 of successor Power Companies established as per provisions of Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2010

Rs. In Crores

Sl. No.	Particulars	Final Opening Balance of Successor Companies as on 01.01.2009					
		Consolidated Balance Sheet of erstwhile CSEB as on 31.12.2008	Adjust-ment	CSPGCL	CSPTCL	CSPDCL	CSPHCL
A	**ASSETS**						
1	Fixed Assets	6,252.97	4.73	3,614.93	884.21	1,749.23	9.33
2	Less: Depreciation	1,798.46	-	914.73	236.41	646.74	0.58
3	Net Assets (1-2)	4,454.51	4.73	2,700.20	647.80	1,102.49	8.75
4	CWIP	2,020.05	(117.83)	560.07	660.99	681.16	-
5	Intangible and other Assets	8.87	-	8.87	-	-	-
6	Investment in subsidiary company	-	-	-	-	-	3,760.27
7	Investment	272.69	393.71	74.08	15.97	84.42	491.93
8	Stock	219.91	1.51	178.88	8.54	29.24	4.76
9	Receivable against supply of power	1,151.02	-	-	-	1,151.02	-
10	Cash & Bank	(67.85)	-	4.99	0.19	23.11	(96.14)
11	Inter Company Receivable/Payable	-	-	(38.28)	(10.56)	(47.23)	96.07
12	Loans & Advance	1,050.63	-	503.12	134.44	411.11	1.96
13	Sundry Receivable	216.39	53.25	(12.24)	1.37	63.49	217.02
14	Security Deposits from Consumers.	(472.89)	-	-	-	(472.89)	-
15	Other Current Liabilities	(2,196.82)	157.89	(729.18)	(262.77)	(1,038.26)	(8.72)
16	Subsidy Receivable from Government	669.01	(253.68)	133.31	41.54	240.48	-
	Total Assets (3-16)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

B	LIABILITIES						
1	Funds from State Govt.– a. Loan	740.78	(136.78)	296.62	92.44	214.94	-
	b. Equity	23.12	(23.12)				
2	Contributions, Grants and Subsidies Towards Cost	1,345.75	(1,241.96)	-	103.79	-	-
3	Reserve & Reserve Funds	178.47	(178.47)	-	-	-	-
4	Surplus	2,914.97	1,560.92	1,230.26	749.05	1,780.96	715.62
5	Total Shareholder Equity (1b+3+4)	3,116.56	1,359.33	1,230.26	749.05	1,780.96	4,475.90
6	Payments Due on Capital Liabilities	504.29	(117.25)	181.02	56.43	149.58	-
7	Capital Liabilities	1,618.14	376.24	1,675.92	235.80	82.66	-
	Total Liabilities (1a+2+5+6+7)	**7,325.52**	**239.58**	**3,383.82**	**1,237.51**	**2,228.14**	**4,475.90**

( ) Entries indicates negative.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्रमांक 776/14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	देवगांव प.ह.नं. 03	0.619	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, कोरबा.	देवगांव - फुलझर - कोलिहामुड़ा मार्ग पर सलिहानाला पर उच्च-स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्रमांक/179/वाचक/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरखोह, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67	0.10
69	0.14
71	0.12
164	0.08
163	0.08
162	0.14
159	0.04
158	0.04
157	0.02
154	0.12
105	0.06
156	0.16
106	0.08
103	0.38
102	0.42
99	0.18
98	0.20
योग	2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डौकीझिरिया व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

अटल नगर, रायपुर दिनांक 31 दिसम्बर 2018

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/4430/वा.उ./2018.—Certificate that we have in the fore/afternoon of this day 31-12-2018 respectively made over and received the charge of the office of Secretary, Department of Commerce & Industries (Rail Line Project) in pursuance of order No. E-1-01-2018/1/2/ dated 28-12-2018 and that the officer receiving charge traveled during joining time on (not applicable) (mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2019

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक 03/छ.ग.रा.मं./बिलासपुर/2019.—Certified that we have in AN/FN of this day on 03-01-2019 respectively handed over charge of the Office of the President, Board of Revenue, C.G. Bilaspur vide GAD's order No. E-1-01/2019/एक-2 Raipur, dated 02-01-2019 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 02+P.M. (mention dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 31 जनवरी 2019

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/160/नग्रानि/2019.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बड़े कापसी निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 28-09-2018 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 31-01-2019 से दिनांक 14-02-2019 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :—

1. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर
2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, उ.ब. कांकेर
4. कार्यालय ग्राम पंचायत भवन, छोटे कापसी जिला उ.ब. कांकेर

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th February 2019

No. 1736/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Rahul Sharma, JMFC, Rajnandgaon to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019

क्रमांक 1738/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरबा अपने घोषित कार्य स्थल कोरबा के अतिरिक्त करतला में भी माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 573/तीन-10-11/2000 दिनांक 22 जनवरी, 2018 जहां तक उसका संबंध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा की श्रृंखला न्यायालय करतला से है एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 1738/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II/JMFC, Korba in addition to his place of sitting at Korba declared shall also sit at Kartala for a week in a month.

The notification No. 573/III-10-11/2000 dated 22nd January, 2018 issued by the High Court of Chhattisgrh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of the Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba at Kartala is hereby cancelled.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्रमांक 46/दो-3-27/2007.—श्रीमती नीता यादव, तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-01-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.